



राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

क्रमांक:निसआआ/राआमं /2012/56

दिनांक :-23/05/2012

परिपत्र

मण्डल द्वारा जारी परिपत्र निसआआ/राआमं /2010/393 दिनांक :- 25/11/2010 के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा समय-समय पर विभिन्न शाखाओ द्वारा समय-समय पर प्रक्रियाओ में सुधार/परिवर्तन इत्यदि के सम्बन्ध में कतिपय आदेश/परिपत्र जो जारी किये जाते है के बारे में बार-बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी उक्त आदेशो/परिपत्रों को मण्डल की वेबसाईट पर नही डलवाया जा रहा है । अतः सभी शाखा प्रभारियों को निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उनकी शाखा से जारी किये जाने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत आदेशों/परिपत्रों की एक प्रति आवश्यक रूप से कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर यह सुनिश्चित करें कि उक्त परिपत्र मण्डल की वेबसाईट पर लोड कर दिया गया है। साथ ही आमजन से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण पुराने आदेशों/परिपत्रों जो की वर्तमान में लागू है की एक प्रति आवश्यक रूप से कम्प्यूटर शाखा को अविलम्ब तिथिवार इंडेक्स बनाकर एवं एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाई जायें।

सभी अधिकारीगण द्वारा उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जायें ।


(टी . रविकान्त)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि-सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. अध्यक्ष महोदय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक , राज. आवासन मण्डल , जयपुर।
4. निदेशक , विधि/अति.मुख्य नगर नियोजक , राज. आवासन मण्डल , जयपुर।
5. अति. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/पीएण्डएम, राज. आ. मं.,जयपुर।
6. तक. सला.-आवासन आयुक्त , राज. आवासन मण्डल , जयपुर को मॉनिटरिंग हेतु।
7. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर राज. आवासन मण्डल , जयपुर।
8. जनसम्पर्क अधिकारी , राज. आवासन मण्डल , जयपुर।


आवासन आयुक्त